सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 माघ 9, गुरुवार, शाके 1947– जनवरी 29, 2026 अंक 44
Vol. 77 Magha 9 , Thursday, Saka 1947–January 29, 2026 No. 44

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ. 1 / 12 / एफ.डी.ई.आर.–187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता ओमवीर प्रताप लोथिया / (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व ओमा राम (पुराना नाम) कहलाता था / कहलाती थी एवं जो कानिस्टेबल बैल्ट सं. 3144 (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में आयुक्तालय जयपुर (राज. पुलिस) (स्थान जहाँ राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था / थी, एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरे मेरे पति / मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम ओमा राम उपनाम (सिर्फ) को त्यागता / त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम ओमवीर प्रताप तथा उपनाम लोथिया ग्रहण करता / करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी ही पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम लोथिया द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता / करती हूँ कि में एतद् पश्चात् सभी, समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखमा प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम ओमा राम तथा उपनाम (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में ओमवीर प्रताप के रूप में तथा लोथिया उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा / करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा / करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी / पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तद्नुसार नये रखे नाम ओमवीर प्रताप उपनाम लोथिया के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करती हूं तथा उसके लिए निवेदन करता / करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम ओमा राम तथा ओमवीर प्रताप लोथिया का वर्णन किया है तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम ओमवीर प्रताप लोथिया द्वारा जो पूर्व में ओमा राम कहलाता था / कहलाती थी हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी

1. हितेश, FC3668 रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर
2. सुनिल भाटी, FC3097 रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर

हस्ताक्षर
(नया नाम) – ओमवीर प्रताप लोथिया
(OMVEER PRATAP LOTHIYA)
(पुराना नाम)– ओमा राम (OMA RAM)

प्रतिहस्ताक्षर
RAJESH KUMAR KANWANT
08.01.2026
विभागाध्यक्ष
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) जयपुर।

30287

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।